बीस रुपये TWENTY RUPEES   दस रुपये TEN RUPEES

(156)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी कं....I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/6337 सन् 2017

मोहम्मद शरीफ तनय अमीर बख्श सौदागर

निवासी मातवाना मुहल्ला वार्ड नं. 27 छतरपुर

जिला छतरपुर म.प्र. ———————— निगरानीकर्ता/याचिकाकर्ता

बनाम

1– श्रीमती पुष्पा चौरसिया पत्नि बृजमोहन चौरसिया

निवासी नरसिंहगढ़पुरवा छतरपुर तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.

2– मो0 रसूल तनय मो0 रफीक उर्फ डब्बू मिस्त्री

वार्ड नं. –01, गुप्ता लॉज के पीछे, छतरपुर

जिला छतरपुर म0प्र0 ————————अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

निगरानी याचिका बनाराजगी आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 528/निगरानी/अ–70/2007–08 मो0 शरीफ बनाम श्रीमती पुष्पा चौरसिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 से दुखित होकर प्रस्तुत की जा रही है ।

महोदय,

निगरानी/याचिकाकर्ता निम्नलिखित निगरानी/याचिका प्रस्तुत करता है –

1– यह कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि– मौजा छतरपुर में नारायणपुरा मार्ग स्थित भूमि खसरा नं. 219 रकवा 0.948 है0 मे से 25X50= 1250 वर्गफीट का प्लाट हरिशचन्द्र चौरसिया एवं राधाचरन चौरसिया नि0 छतरपुर से अनावेदक क्रं0–01 द्वारा क्रय किया गया था जिसकी चौहद्दी पश्चिम की ओर भरत चौरसिया का मकान, पूर्व मे नाहर सिंह, सरदार की कृषि भूमि, उत्तर में–विक्रेतागण की भूमि तथा दक्षिण मे नारायणपुरा मार्ग है। इस भूखण्ड पर निगरानीकर्ता एंव अनावेदक क्रं0–2 द्वारा दिनांक 15.11.2000 को भरत चौरसिया के बताये अनुसार कब्जा करने का प्रयास किये जाने संबंधी रिपोर्ट कोतवाली छतरपुर मे की जाकर तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया गया । जिस पर कि तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रं0–2/अ–70/2000–01 पंजीबद्ध कर निगरानीकर्ता को विधिवत् नोटिस द्वारा तलब किया गया जिस पर कि निगरानीकर्ता द्वारा अपना जबाव

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/6337 मोहम्मद शरीफ विरूद्ध पुष्पा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 528/निगरानी/अ-70/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 21-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 18.1.19
सदस्य